(1)

गोपनीय

मुहरबंद

बिहार सरकार

खेल विभाग

मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन हेतु संलेख

विषय :– **बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सुगम प्रबंधन एवं संचालन हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न कोटि के कुल 301 (तीन सौ एक) पदों के सृजन की स्वीकृति।**

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना खेल विभाग, बिहार के अंतर्गत एक वित्त पोषित संस्था है। इसका उद्देश्य बिहार में खेल एवं खिलाड़ियों के विकास तथा खेलों को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा संचालित खेल से संबंधित योजनाओं, विभिन्न स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं खेल अवसंरचनाओं के रख–रखाव, खेल अकादमी, प्रशिक्षण केन्द्रों का अधिष्ठापन–संचालन करना। खेलों के विकास के लिए देश–विदेश स्थित प्रतिष्ठित सरकारी व निजी खेल संस्थान, राज्य एवं राष्ट्रीय खेल संघों से समन्वय स्थापित कर खेल गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु खेल अकादमियों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। उक्त वर्णित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के कुशल प्रबंधन एवं संचालन हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अधिसूचना संख्या–139, दिनांक 18.04.2000 की अनुसूची–1 द्वारा स्वीकृत सभी पदों को प्रत्यार्पित कर नये पदों के सृजन की आवश्यकता है।

2. नये पद सृजित होने से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन प्रारम्भिक स्तर से किये जाने, कम उम्र वाले खिलाड़ियों को प्रारम्भिक खेल गतिविधियों में सम्मिलित किये जाने से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा, जिससे राज्य में खेल का वातावरण तैयार किया जा सकेगा तथा राज्य में राष्ट्रीय स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने में मदद प्राप्त होगी।

3. अतएव बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सुगम प्रबंधन एवं संचालन हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न कोटि के कुल 301 (तीन सौ एक) पदों के सृजन का प्रस्ताव है :–

(क) मुख्यालय स्तर पर

क्र. स.	पद का नाम/संवर्ग	वेतन संरचना	सृजित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	महानिदेशक —सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (अ0भा0से0 के प्रधान सचिव/सचिव स्तर)	वेतन स्तर 15	1	
2	कार्यकारी निदेशक (अ0भा0से0/बि0प्र0से0 के विशेष/अपर सचिव स्तर)	वेतन स्तर 13	1	
3	निदेशक (प्रशासन एवं अवसंरचना) (बि0प्र0से0 के अपर समाहर्त्ता स्तर)	वेतन स्तर 12	1	
4	निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता) (बि0प्र0से0 के अपर समाहर्त्ता स्तर)	वेतन स्तर 12	1	
5	उप निदेशक (प्रशासन) (बि0प्र0से0/बि0खे0 एवं यु0 सेवा)	वेतन स्तर—11	1	
6	उप निदेशक (प्रतियोगिता) (बि0प्र0से0/बि0खे0 एवं यु0सेवा)	वेतन स्तर—11	1	
7	उप निदेशक (प्रशिक्षण) (बि0प्र0से0/बि0खे0 एवं यु0सेवा)	वेतन स्तर—11	1	
8	उप निदेशक (अवसंरचना) (बि0प्र0से0/बि0खे0 एवं यु0सेवा)	वेतन स्तर—11	1	
9	विधि पदाधिकारी (विधि विभाग से प्रतिनियुक्त/संविदा)	वेतन स्तर—09	1	
10	प्रोग्रामर—सह—वेब व्यवस्थापक (संविदा पर)	वेतन स्तर—8	1	
11	डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर (संविदा पर)	वेतन स्तर—7	1	
12	लेखा पदाधिकारी (वित्त विभाग से प्रतिनियुक्त/संविदा)	वेतन स्तर—9	1	
13	प्रधान लिपिक (प्रतिनियुक्त/संविदा)	वेतन स्तर—6	2	

14	उच्चवर्गीय लिपिक (प्रतिनियुक्त / संविदा)	वेतन स्तर–4	4	
15	निम्नवर्गीय लिपिक (प्रतिनियुक्त / संविदा)	वेतन स्तर–2	8	
16	चालक (सीधी भर्ती / संविदा)	वेतन स्तर–2	2	
17	यंग स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स (संविदा पर)	मानदेय 40000 / –	6	
18	निजी सहायक (सीधी भर्ती / संविदा)	वेतन स्तर–6	1	
	कुल		**35**	

(ख) क्षेत्रीय स्तर पर

क्र० सं०	पद का नाम	वेतन संरचना	सृजित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	क्रीड़ा प्रशिक्षक (सीधी भर्ती / संविदा)	वेतन स्तर–6	152	
2	उच्च वर्गीय लिपिक (सीधी भर्ती / संविदा)	वेतन स्तर–4	38	
3	निम्न वर्गीय लिपिक (सीधी भर्ती / संविदा)	वेतन स्तर–2	38	
4	यंग स्पोटर्स प्रोफेसनल्स (संविदा पर)	मानदेय 40000 / –	38	
	कुल		**266**	

4. उक्त सृजित किये जाने वाले नियमित पदों पर कुल व्यय ₹ 12,24,67,200 (बारह करोड़ चौबीस लाख सड़सठ हजार दो रुपये) मात्र एवं यथा अनुमान्य अन्य देय भत्ते का वार्षिक अतिरिक्त व्यय भार होगा, जो राज्य सरकार को वहन करना होगा।

5. प्रस्तावित पदों के सृजन पर होने वाले अतिरिक्त व्यय भार का वहन मांग संख्या–52 के अधीन बजट शीर्ष "2204–खेलकूद तथा युवा

सेवाएं–104–खेलकूद–0012–बिहार राज्य खेल प्राधिकरण'' विपत्र कोड–52–2204001040012 अन्तर्गत विषय शीर्ष 3104–सहायक अनुदान–वेतन के अंतर्गत होगा।

6. प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक 13.09.2022 की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–9079, दिनांक 26.09.2022 के क्रमांक–5 द्वारा उक्त पदों के सृजन की स्वीकृति हेतु सहमति प्राप्त है (प्रति संलग्न)।

7. प्रस्ताव एवं संलेख पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

8. उपर्युक्त कंडिका–3, 4 एवं 5 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रार्थित है।

BRajendra 11.7.2024

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/स्था. 2–03/2022....941..../ पटना, दिनांक......12/7....../2024

प्रतिलिपिः–संलेख की 50 (पचास) प्रतियों के साथ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की आगामी बैठक में विचारार्थ उपस्थापना हेतु प्रेषित।

BRajendra 11.7.2024

सरकार के प्रधान सचिव।

अनुलग्नक–1

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के सुगम प्रबंधन एवं संचालन हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न कोटि के 301 (तीन सौ एक) पदों के सृजन पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी

क्र.	पदनाम	सृजित किये जाने वाले नए पदों की संख्या	प्रविष्टि वेतन	वेतन स्तर	वार्षिक वेतन	अन्य भत्ते
1	2	3	4	5	6	7
मुख्यालय स्तर						
1	महानिदेशक–सह–मुख्य कार्यपालक (अ.भा.से. के प्रधान सचिव/सचिव स्तर)	1	182200	15	2186400	यथा अनुमान्य अन्य भत्ते देय होंगे।
2	कार्यकारी निदेशक (अ.भा.से./बि.प्र.से. के विशेष/अपर सचिव स्तर)	1	123100	13	1477200	
3	निदेशक (प्रशासन एवं अवसंरचना) (बि.प्र.से. के अपर समाहर्त्ता स्तर)	1	78800	12	945600	
4	निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता) (बि.प्र.से. के अपर समाहर्त्ता स्तर)	1	78800	12	945600	
5	उप निदेशक (प्रशासन) (बि.प्र.से./बि.खे. एवं यु.सेवा)	1	67700	11	812400	
6	उप निदेशक (प्रतियोगिता) (बि.प्र.से./बि.खे. एवं यु.सेवा)	1	67700	11	812400	
7	उप निदेशक (प्रशिक्षण) (बि.प्र.से./बि.खे. एवं यु.सेवा)	1	67700	11	812400	
8	उप निदेशक (अवसंरचना) (बि.प्र.से./बि.खे. एवं यु.सेवा)	1	67700	11	812400	
9	विधि पदाधिकारी (विधि विभाग से प्रतिनियुक्त/संविदा)	1	53100	9	637200	
10	लेखा पदाधिकारी (वित्त विभाग से (प्रतिनियुक्त/संविदा)	1	53100	9	637200	
11	प्रोग्रामर–सह–वेब व्यवस्थापक	1	47600	8	571200	
12	डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर	1	44900	7	538800	
13	प्रधान लिपिक (प्रतिनियुक्त/संविदा)	2	35400	6	849600	
14	निजी सहायक (सीधी भर्ती/संविदा)	1	35400	6	424800	

क्र.	पदनाम	सृजित किये जाने वाले नए पदों की संख्या	प्रविष्टि वेतन	वेतन स्तर	वार्षिक वेतन	अन्य भत्ते
1	2	3	4	5	6	7
15	उच्च वर्गीय लिपिक, (प्रतिनियुक्त/संविदा)	4	25500	4	1224000	
16	निम्न वर्गीय लिपिक, (प्रतिनियुक्त/संविदा)	8	19900	2	1910400	यथा अनुमान्य अन्य भत्ते देय होंगे।
17	चालक (सीधी भर्ती/संविदा)	2	19900	2	477600	
18	यंग स्पोर्ट्स प्रोफेशनलस (संविदा पर)	6	40000	मानदेय	2880000	
	लघु योग	**35**			**18955200**	
क्षेत्रीय स्तर						
18	क्रीड़ा प्रशिक्षक, (सीधी भर्ती/संविदा)	152	35400	6	64569600	
20	उच्च वर्गीय लिपिक, (सीधी भर्ती/संविदा)	38	25500	4	11628000	
21	निम्न वर्गीय लिपिक, (सीधी भर्ती/संविदा)	38	19900	2	9074400	
22	यंग स्पोर्ट्स प्रोफेशनलस (संविदा पर)	38	40000	मानदेय	18240000	
	लघु योग	**266**			**103512000**	
	कुल योग	**301**			**122467200**	

(बारह करोड़ चौबीस लाख सरसठ हजार दो सौ रूपये) मात्र।

Rajender 11.7.2024

डॉ0 बी0 राजेन्दर
प्रधान सचिव

जाँच पत्र

1.	विभाग का नामः–	खेल विभाग
2.	संचिका संख्या :–	3 / स्था. 2–03 / 2022
3.	प्रस्ताव का विषय :–	बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सुगम प्रबंधन एवं संचालन हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न कोटि के कुल 301 (तीन सौ एक) पदों के सृजन की स्वीकृति ।
4.	क्या हर संलेख के ऊपर विषय साफ लिख दिया गया है एवं उपांत में गोपनीय/मुहरबंद लिखा गया है?	हाँ
5.	क्या प्रस्ताव संबंधी सभी मुख्य बातों का उल्लेख संलेख में कर दिया गया है?	हाँ
6.	जिन विभागों के परामर्श अपेक्षित था, क्या वे संलेख में सहमत हैं?	हाँ
7.	व्यय मूलक सभी प्रस्तावों में वित्त विभाग की सहमति ले ली गयी है, बजट उपबंध किया जा चुका है, तो लागत व्यय विवरणी संलेख में संलग्न कर दिया गया है या नहीं एवं इसका उल्लेख संलेख में कर दिया गया है या नहीं?	आवश्यक नहीं
8.	यदि वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग या किसी अन्य विभाग की सहमति प्राप्त की गयी है तो उन विभागों द्वारा जिन बिन्दुओं पर सहमति दी गयी है और यदि कोई शर्त लगाये गए हैं तो उनका स्पष्ट उल्लेख संलेख में किया गया है और प्रस्ताव तदनुसार है?	आवश्यक नहीं
9.	क्या संलेख पर मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है एवं इसे संलेख में लिख दिया गया है?	हाँ
10.	क्या संलेख वाली संचिका के साथ अन्य सृजित संचिकायें जमा की गई है और उन्हें निर्देश अंकित कर दिया गया है।	आवश्यक नहीं

11.	क्या नये पदों के सृजन एवं उत्क्रमण के प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति विभाग की सहमति के अतिरिक्त यदि योजना मद में हो तो योजना विभाग और गैर योजना मद में हो तो प्रशासी पदवर्ग समिति की सहमति प्राप्त कर ली गयी है?	आवश्यक नहीं
12.	ऐसे मामले में जहाँ लोक सेवा आयोग से परामर्श जरूरी है क्या लोक सेवा आयोग के पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर दी गयी है?	आवश्यक नहीं
13.	सेवाओं में और पदों पर नियुक्ति के मामले में :–	आवश्यक नहीं
क	क्या संलेख में हर उम्मीदवार की योग्यताओं का पूरा–पूरा उल्लेख कर दिया गया है?	आवश्यक नहीं
ख	क्या सीधी भर्ती वालों के पूर्व वृत सत्यापित कर लिये गये हैं?	आवश्यक नहीं
14.	प्रोन्नति का सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के मामलों में क्या संलेख में ऐसी कोई कंडिका है, जिसमें अनु. जाति एवं अनु. जनजातियों के लिए स्थानीय आरक्षण के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है और साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रस्तावित नियुक्ति में आरक्षण का लिहाज रखा गया है और यदि नहीं तो उसका कारण एवं इसमें सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति ली गयी है या नहीं?	आवश्यक नहीं
15.	(1) क्या प्रोन्नति के लिए प्रस्तावित पदाधिकारियों ने सेवा नियमावली में प्रोन्नति के लिए निर्धारित सभी अर्हता और शर्त पूरी कर ली है?	आवश्यक नहीं
	(2) जिस पद पर प्रोन्नति प्रस्तावित है वह स्थायी रूप से स्वीकृत है या अस्थायी?	आवश्यक नहीं
	(3) प्रोन्नति स्थायी/परीक्ष्यमाण या स्थायी रूप से प्रस्तावित है?	आवश्यक नहीं
16.	क्या संपुष्टि या प्रोन्नति विषयक प्रस्तावों में अंतिम रूप से वरीयता निर्धारित है और यदि किसी का अवक्रमण (सुपरलेसन) है, तो क्या संलेख में इसके कारण का उल्लेख कर दिया गया है?	आवश्यक नहीं
17.	प्रोन्नति या मौलिक नियुक्ति के मामलों में :–	आवश्यक नहीं
क	क्या. प्रोन्नति या नियुक्ति किये जाने वाले	आवश्यक नहीं

	पदाधिकारियों के विरूद्ध किन्हीं अभियोग के संबंध में कोई कार्रवाई की जा रही है?	
ख	यदि कोई कार्रवाई की जा रही है तो क्या इसका उल्लेख संलेख में कर दिया गया है?	आवश्यक नहीं
ग	क्या प्रोन्नति के लिए प्रस्तावित पदाधिकारियों के संबंध में निगरानी विभाग से स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त है।	आवश्यक नहीं
18	क्या लोक सेवा आयोग के अनुशंसा की प्रत्याशा में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति का उसके अवधि विस्तार के प्रस्ताव में निम्नलिखित बिन्दुओं की जाँच कर ली जाए:–	आवश्यक नहीं
(क)	(i) लोक सेवा आयोग को अधियाचना पत्र किसी पत्र से कब भेज गया है?	आवश्यक नहीं
	(ii)क्या लोक सेवा आयोग की अनुशंसा तीन महीने से अधिक अवधि से लंबित है?	आवश्यक नहीं
	(iii)क्या लोक सेवा आयोग द्वारा कोई अतिरिक्त सूचना मांगी गयी है तो विभाग से भेजना लंबित है?	आवश्यक नहीं
	(iv)वर्त्तमान तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति सर्वप्रथम कब स्वीकृत की गयी थी और कितने दिनों से अवधि विस्तार हो रहा है?	आवश्यक नहीं
	(v)नियुक्ति/प्रोन्नति को नियमित करने में विलंब का कारण क्या है?	आवश्यक नहीं
(ख)	(i)क्या तदर्थ प्रोन्नति के लिए प्रस्तावित पदाधिकारियों के संबंध में वरीयता या अन्य किसी बिन्दु पर विवाद है?	आवश्यक नहीं
	(ii)कोई प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित है?	आवश्यक नहीं
	(iii)किसी आरक्षित पद को अनारक्षित करने का प्रस्ताव निहित है?	आवश्यक नहीं
(ग)	क्या लोक सेवा आयोग के सदस्यों को छोड़कर विभागीय प्रोन्नति समिति के अन्य सदस्यों की बैठक में प्रस्तावित तदर्थ नियुक्ति की अनुशंसा की गयी है?	आवश्यक नहीं
19.	अस्थायी पद की अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से प्राप्त प्रस्ताव के मामलों में क्या संलेख में ऐसी	आवश्यक नहीं

कोई कंडिका दी गई है, जिसें यह स्पष्ट किया गया है कि विलंब क्यों हुआ और दोषी पदाधिकारियों को दंड देने के लिए विभाग ने कौन सी कार्रवाई की गयी है ?

20.	क्या संलेख प्रधान सचिव/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित है या नहीं (संलेख पर प्रधान सचिव/सचिव की अनुपस्थिति में ही संयुक्त सचिव या इससे उच्चतर पदाधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए)।	हाँ
21.	संलेख कम्प्यूटर टंकित करने के बाद उत्तरदायी पदाधिकारी द्वारा उसे पढा गया है या नही तथा संलेख की प्रति स्वच्छ एवं स्पष्ट है या नहीं।	हाँ
22.	क्या संलेख को प्रधान सचिव/सचिव ने देखा है या नहीं? (संलेख उनके माध्यम से ही विभागीय मंत्री के पास भेजा जाना चाहिए)	हाँ
23.	संलेख के साथ प्रेस नोट संलग्न है या नहीं?(प्रेस नोट 35 प्रतियों में अलग फोल्डर में संलग्न किया जाना चाहिए)	हाँ
24.	कार्यान्वयन अनुसूची संलग्न है या नहीं? (कार्यान्वयन अनूसुची 5(पाँच) प्रतियों में अलग फोल्डर में संलग्न किया जाना चाहिए)	हाँ
25	जाँच पत्र संलग्न है या नही? (जाँच पत्र 5(पाँच) प्रतियों में अलग फोल्डर में संलग्न किया जाना चाहिए)	हाँ
26	संलेख की प्रतियाँ संलग्न है या नही? (संलेख की 3(तीन) मूल हस्ताक्षरित प्रतियाँ तथा 45(पैंतालीस) छाया प्रति संलग्न किया जाना चाहिए। संलेख की एक मूल हस्ताक्षरित प्रति विभाग की संचिका में रहनी चाहिए)।	हाँ

Rajendra 11.7.2014

(डॉ0 बी0 राजेन्दर),
सरकार के प्रधान सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

अनुलग्नक–III

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात् विभागों द्वारा अनुपालन हेतु

–: कार्यान्वयन अनुसूची का विवरण :–

विभाग का नाम :– खेल विभाग।

संचिका संख्या :– 3/स्था. 2–03/2022

विषय :– बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सुगम प्रबंधन एवं संचालन हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न कोटि के कुल 301 (तीन सौ एक) पदों के सृजन की स्वीकृति ।

निर्णय का सारांश	योजना, लाभ/फलाफल	समय सीमा एवं कार्यान्वयन की रिति/मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रतिवेदित किया जाना (अधिकतम सात दिन)
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सुगम प्रबंधन एवं संचालन हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न कोटि के कुल 301 (तीन सौ एक) पदों के सृजन की स्वीकृति।	बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना खेल विभाग, बिहार के अंतर्गत एक वित्त पोषित संस्था है। इसका उद्देश्य बिहार में खेल एवं खिलाड़ियों के विकास तथा खेलों को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा संचालित खेल से संबंधित योजनाओं, विभिन्न स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं खेल अवसंरचनाओं के रख–रखाव, खेल अकादमी, प्रशिक्षण केन्द्रों का अधिष्ठापन–संचालन करना। खेलों के विकास के लिए देश–विदेश स्थित प्रतिष्ठित सरकारी व निजी खेल संस्थान, राज्य एवं राष्ट्रीय खेल संघों से समन्वय स्थापित कर खेल गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु खेल अकादमियों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। उक्त	एक सप्ताह।

	वर्णित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के कुशल प्रबंधन एवं संचालन हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अधिसूचना संख्या–139, दिनांक–18.04.2000 की अनुसूची–1 द्वारा स्वीकृत सभी पदों को प्रत्यार्पित कर नये पदों के सृजन की आवश्यकता है। नये पद सृजित होने से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन प्रारम्भिक स्तर से किये जाने, कम उम्र वाले खिलाड़ियों को प्रारम्भिक खेल गतिविधियों में सम्मिलित किये जाने से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा, जिससे राज्य में खेल का वातावरण तैयार किया जा सकेगा तथा राज्य में राष्ट्रीय स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने में मदद प्राप्त होगी।	

हस्ताक्षर :– BRajendra 11.3.2014

नाम :– **(डॉ0 बी0 राजेन्दर),**

पदनाम :– सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार

खेल विभाग

।। प्रेस नोट ।।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना खेल विभाग, बिहार के अंतर्गत एक वित्त पोषित संस्था है। इसका उद्देश्य बिहार में खेल एवं खिलाड़ियों के विकास तथा खेलों को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा संचालित खेल से संबंधित योजनाओं, विभिन्न स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं खेल अवसंरचनाओं के रख–रखाव, खेल अकादमी, प्रशिक्षण केन्द्रों का अधिष्ठापन–संचालन करना। खेलों के विकास के लिए देश–विदेश स्थित प्रतिष्ठित सरकारी व निजी खेल संस्थान, राज्य एवं राष्ट्रीय खेल संघों से समन्वय स्थापित कर खेल गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु खेल अकादमियों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। उक्त वर्णित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के कुशल प्रबंधन एवं संचालन हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अधिसूचना संख्या–139, दिनांक 18.04.2000 की अनुसूची–1 द्वारा स्वीकृत सभी पदों को प्रत्यार्पित कर नंये पदों के सृजन की आवश्यकता है।

नये पद सृजित होने से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन प्रारम्भिक स्तर से किये जाने, कम उम्र वाले खिलाड़ियों को प्रारम्भिक खेल गतिविधियों में सम्मिलित किये जाने से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा, जिससे राज्य में खेल का वातावरण तैयार किया जा सकेगा तथा राज्य में राष्ट्रीय स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने में मदद प्राप्त होगी।

अतः बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सुगम प्रबंधन एवं संचालन हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न कोटि के कुल 301 (तीन सौ एक) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

Rajendra 11.7.2024

(डॉ0 बी0 राजेन्दर),
सरकार के प्रधान सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।